

Motion regarding Termination of Suspension of Members

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND
MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): Hon.
Speaker, Sir, I move the following motion under the Proviso to Rule
374(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok
Sabha:

?That the suspension of Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri
Hibi Eden, Adv. Dean Kuriakose, Shri Amrinder Singh
Raja Warring, Shri B. Manickam Tagore, Dr. Prashant
Yadaorao Padole, Shri Chamala Kiran Kumar Reddy and
Shri S. Venkatesan, Members ordered by the House on
3rd February, 2026 for the remaining period of the
session be terminated with immediate effect.?

श्री किरण रिजु : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव लोकसभा के अन्तर्गत प्रस्तावित करता हूँ।

प्रस्तावित प्रस्ताव :
"कि श्री गुरजित सिंह अजला, श्री हिवी एडेन, श्री एडव. डीन कुरियाकोसे, श्री अमरिंदर सिंह राजा वरिंग, श्री बी. मणिकम तागोर, डॉ. प्रशान्त यादवराव पादोले, श्री चमला किरन कुमार रेड्डी और श्री एस. वेंकटेशन, सदस्यों को 3 फरवरी, 2026 को सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित करने का फैसला किया गया है।"

प्रस्तावित प्रस्ताव :
कि श्री गुरजित सिंह अजला, श्री हिवी एडेन, श्री एडव. डीन कुरियाकोसे, श्री अमरिंदर सिंह राजा वरिंग, श्री बी. मणिकम तागोर, डॉ. प्रशान्त यादवराव पादोले, श्री चमला किरन कुमार रेड्डी और श्री एस. वेंकटेशन, सदस्यों को 3 फरवरी, 2026 को सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित करने का फैसला किया गया है।"

श्री किरण रिजु : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव लोकसभा के अन्तर्गत प्रस्तावित करता हूँ।